फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रामलाल गुर्जर पुत्र श्री भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी कांटी, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री भगवतसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं. 37 **वर्ष 2021**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.11.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही के सी. आर. नं. 190 दिनांक 12.04.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत पिण्डवाडा द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 27 जीडी 3455 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 12.04.2021 को श्री किशोरसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत पिण्डवाडा को श्री उतमसिंह उ.नि. प्रभारी चौकी मौरस ने जरिए दूरभाष के सूचना दी कि एक बोलेरो पिकअप को अभी दौराने नाकाबन्दी नेशनल हाईवे रोड नं. 27 पर मोरस चौकी के पास रूकवाया है, जिसमें से एक व्यक्ति भाग गया है तथा वाहन चालक को मौके पर पकडा है एवं चालक से पूछताछ करने पर पिकअप गाडी के अन्दर बायो डीजल प्लॉस्टिक के जरीकनों में भरा होना बताया एवं परमिट के बारे में पूछने पर ड्राईवर के पास किसी भी प्रकार का परमिट होना नहीं बताया, जिससे यह प्रतीत होता है कि [illegible] डीजल भरा हुआ है, जो ग्राहकों को बेचने के लिए ले [illegible] है। उक्त सूचना पर श्री कि[illegible] वृत्ताधिकारी वृत पिण्डवाडा म[illegible]जाब्ता के पहुंचे [illegible] पर नाकाबंदी में लगा जाब्ता [illegible] पिकअप नम्बर आरजे 27 [illegible] उपस्थित मिले।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त वाहन की तलाशी लिए जाने की कार्यवाही में गाडी में कुल 23 प्लॉस्टिक के जरीकन 50–50 लीटर क्षमता वाले भरे हुए थे जिनमें 02 काले रंग के जरीकन खाली व 21 जरीकन में तरल पदार्थ, जो वाहन चालक द्वारा बायो डीजल बताया जा रहा था, भरा हुआ था। उक्त जरीकनों में से 06 जरीकन काले रंग के, 03 जरीकन हरे रंग के एवं 14 जरीकन आसमानी रंगे के थे। उपरोक्त जरीकनों के ढक्कन खोलकर देखने पर तरल पदार्थ, जो डीजल/बायोडीजल जैसा प्रतीत हो रहा था, भरा हुआ पाया गया। वाहन के चालक श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ से उक्त जरीकनों के बारे में पूछताछ की तो उसने जरीकनों में बायो डीजल भरा हुआ होना बताया। उक्त वाहन में प्रत्येक जरीकन में 50–50 लीटर क्षमता के होने से कुल 1050 लीटर डीजल/बायोडीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल/बायोडीजल के परिवहन के बारे में चालक श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह से अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं वाहन से भागने वाले अन्य व्यक्ति का नाम श्री सदाम हुसैन पुत्र श्री बाबू शाह निवासी बाबू शाह चमार मौहल्ला नगरी कच्ची बस्ती चित्तौडगढ बताया। वाहन चालक ने बताया कि श्री सदाम हुसैन द्वारा उक्त पिकअप को किराया पर लाकर उक्त माल को अपने गोदाम गांव रिठोडा उदयपुर रोड चित्तौडगढ से जरीकन में भरवाकर कोदरला के पास आशापुरा होटल पर श्री लालजी गायरी को देना बताया। श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल/बायोडीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ, केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है। वाहने के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जांच नहीं [illegible] ।

जिला [illegible], सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल/बायोडीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल/बायोडीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस पिण्डवाडा द्वारा थाना पिण्डवाडा के मुकदमा संख्या 190 दिनांक 12.04.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नम्बर संख्या आरजे 27 जीडी 3455 में डीजल/बायोडीजल कुल 1050 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा के एफ आई आर क्रमांक 190 दिनांक 12.04.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप संख्या आरजे 27 जीडी 3455 में 1050 लीटर डीजल/बायोडीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरि[illegible] जाता है ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थ[illegible] पाया जाता है जिससे वाहन [illegible] क्षति [illegible] पाया जाता है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 04,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

23.11.2021

माफिक आदेश प्रार्थी श्री भगवतसिंह उर्फ श्री टमुसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी केसरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ द्वारा सुपुर्दगीनामा एवं श्री हरिसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन नम्बर आरजे 27 जीडी 3455 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 4,00,000/– (अक्षरे रू. चार लाख रूपए) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा वाहन को प्रार्थी को सुपर्द कर रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करें।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner